

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ, दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय भाष:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1956-B.P.S. EDUCATIONAL INSTITUTE OF PHARMACY, ETA

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनी पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर धारण द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फिस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की तबीयतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उ०प समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। बीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार विरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

Director
B.P.S. Educational
Institution of Pharmacy
Vidya Vihar, Etah (U.P.)

- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये नियम/नियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिग्रीमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उज्ज्वलित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद शायर किया जाता है तथा दावर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिग्रीमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश मखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा ससा स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का वितरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपर्युक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरोध की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Director
B.P.S. Educational
Institution of Pharmacy
Vidya Vihar, Etah (U.P.)

(सुनील कुमार घोषाल)

सचिव

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य, निर्देशक, B.P.S. EDUCATIONAL INSTITUTE OF PHARMACY, ETA

(सुनील कुमार घोषाल)

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविष/परिषद/सम्बद्धता/2020/1071

तारानंक: दिनांक 14-9-2020

:-कार्यालय ब्राप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कानूनी कार्यालय श्रीक इण्डिया नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में खिलोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी0सी0आई0 द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी0सी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी0सी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी0सी0आई0/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1968	वी0सी0ए0ए0 एजुकेशनल इन्स्टी0 ऑफ फार्मसी, एटा।	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1962 सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-48,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500

(Handwritten Signature)

Director
U.P.S. Educational
Institution of Pharmacy
Vidya Vihar, Etah (U.P.)

45 प्रतिशत शुल्क की प्रतीक प्रवेश/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अधिस्तित प्राप्ति/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर इच्छित द्वारा भेजा किसे जाने जाने शासनद्वारा प्रस्तावी होने और अनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रीत निर्धारित गतिविधि द्वारा यदि तब 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो प्रीत की नवीनता दे संभू होगी।

- ✓ सत्या की (50000 प्रतिशत) किसे सभितार्थी हमें एप सभितार्थी, सत्याओं की सम्बद्ध किसे जमा/दिनिमानुसार-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ सत्या में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीर्ष के रिजल्ट के जाने की स्थिति में उक्त प्रदेश सत्या के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ सत्या की समय-समय पर निर्गत शासनद्वारा के अनुसार निरीक्षण एत सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ सत्या को (50000/100000/100000) से जायगी राश हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जमा आवश्यक होगा।
- ✓ सत्या कला प्रदेश भारत द्वारा बनाये गये विधि/निर्णय/अधिनियम/शासनद्वारा/निर्देश एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा उपर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये विधायी निर्णयों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- ✓ विप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस सत्या में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उक्त प्रदेश शासन का कोई भाग बाहर किया जाता है तथा बाहर बाहर के सत्या में मा. न्यायलय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति सत्या आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित सत्याओं की करनी होगी।
- ✓ विप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उक्त प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालय प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कार्यालय) के शासन से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उक्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम प्रारम्भ निर्णय का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ सत्या की अपने वेबसाइट पर सत्या की समस्त सूचनाएं जैसे सत्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, सजा-सज्जा, उपकरण प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ सत्या को शिक्षण-प्राथमिक हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने का साथ शैक्षणिक संस्थानों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ सत्या गह सुनिश्चित हो ले कि सत्या में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण सभितार्थी के समस्त व्यय कराने गये अधिलेख भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि सत्या द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि सत्या उपरोक्त का प्रसीन किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल सत्या की सम्बद्धता समाप्त किसे जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किसे जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किसे जाने की स्थिति में दिनिमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(डा० आरुको सिंह)
सचिव

तद् दिनांक: 15-09-2020

पुस्तक- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

प्रतिलिपि- प्रधानाचार्य/निदेशक, बीपीएसए एजुकेशनल इस्टीम ऑफ फार्मेसी, एल।

(डा० आरुको सिंह)
सचिव

Director
D.P.S. M
Inspection of
Vidya Vigyan, Bhopal (M.P.)

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2018/888

लखनऊ, दिनांक: 15-5-2018

-कार्यालय ज्ञाप-

प्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2018-19 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2018 को निर्देशक शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2018-19 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु सत्र 2018-19 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-16 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा तालन विचार-विमर्श का निम्नक्त निर्णय लिया गया:-

- ऐसी गवस्थापित निम्न डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं जिन्हें सत्र 2018-19 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2018-19 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2018-19 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्राप्त होने के पूर्व पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही की जाएगी।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2018-19 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2018-19 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2018-19 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	258	सी0पी0एरसा इस्टी0 जी०फ० फार्मसी ए०	एन०के०एन० डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम सहित) हेतु ₹0- 30,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों हेतु ₹0- 21,500.00 शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रेषित किया जाएगा। उपरोक्त दो अतिरिक्त छात्रों को शुल्क की सम्बन्ध में समझ-समझ पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2018-2019 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है। जो फीस की भविष्यगत दरें लागू होंगी।

Director
U.P.S. Educational
Institution of Pharmacy

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों) संस्थाओं को संबद्ध किया जाता।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटी के बिना वह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समस्त-समस्त पर निर्णय आदेशों के अनुसार निर्दिष्ट एव सम्बद्ध शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडवाइजरी 10/10/10 में अग्रणी एवं हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आशय्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियम/अभिलेख/शासनादेश/निर्देशों एवं निदेशक प्राविधिक शिक्षा उपाय संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद उपाय द्वारा बनाये गये नियमों/निर्देशों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने की स्थिति में कार्य करेगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. में अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधेय रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई न्याय दायर किया जाता है तथा दायर याद के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति राशियों का प्रवेश निर्णय किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति सम्बंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश संयुक्त द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आधुनिक प्राप्ति होने से पूर्व पी.सी.आई. से अनुमोदन प्राप्त एवं परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय नवीनतम आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने बैलवाइड पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक फुटिंग, स्ट्राक, सज्ज-सज्जा, उपकरण, पाठ्य विद्या जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के साथ रेगिमेंट रोकने के सम्बंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को संचालित हेतु निर्दिष्ट समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-संवर्धन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का संचालन संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो समस्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


 (सजीव कुमार सिंह)
 सचिव

फ़ॉसो- प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2016/889-1518
 Institution of Vidyya Vihar, Etah (U.P.) तद दिनांक 18-5-2018
 प्रतिनिधि-प्रशासनाचार्य/निदेशक, बी०पी०एस० एजुकेशनल इस्टी० ऑफ फार्मसी, एटा।


 (सजीव कुमार सिंह)
 सचिव